निर्णय बाइजलास प्रकाशचन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं. - 50/14

दायरा तारीख - 22/7/14

विजयराम उर्फ विजिया पिता बिन्दाजी मीणा व अन्य (प्रार्थीगण)

बनाम

उदयराम पिता फुलीया मीणा व अन्य (अप्रार्थीगण)

उपस्थित :-
1. श्री अर्जुन वैष्णव ; अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री शरद जैन ; अधिवक्ता अप्रार्थी सं. (1 से 4)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज० अभिधृति अधिनियम।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 25/3/21

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य यह है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एक वाद के साथ उक्त प्रार्थना-पत्र पेश किया है। कि मौजा सिंगाड़ो का बेड़ा में खाता सं. 4 पर अंकित आराजी नं 86 रकबा 1.01 हैं. 93 रकबा 1.60 हैं., 95 रकबा 0.42 हैं., 96 रकबा 0.58 हैं कुल किता 4 कुल रकबा 3.61 हैं. दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 6 व 7 ; ½ हिस्से पर व अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 भी ½ हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात वक्त सेटलमेन्ट फुलीया के परिवार में बड़ा होने के कारण उसके नाम दर्ज कर दी लेकिन प्रार्थीगण व उनके परिवार जन वादग्रस्त भूमि के ½ हिस्से पर पिछले 70-80 वर्षों से काश्त करते आ रहे है। फुलिया के फौत होने पर उक्त आराजीयात उसके वारिसान उदयराम, भीवणा, हीरा, बादरु के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गयी। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 हमें कब्जा काश्त भूमि से बेदखल करने की नीयत से लड़ाई-झगड़ा करते रहते है। इस संबंध प्रार्थीगण ने पुलिस थाना सालमगढ़ में भी 23-1-2014 को शिकायत की जिस पर उन्हे कार्यपालक मजि० अरनोद द्वारा पाबंद

cont. . . .

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

तत्पश्चात् अप्रार्थीगण 1-5 ने न्यायालय उपखण्ड - अधिकारी से पत्थरगढ़ी का आदेश लेकर पत्थरगढ़ी हेतु राजस्व कार्मिकों के साथ आये परन्तु हमारा कब्जा होने से पत्थरगढ़ी नहीं होने दी उक्त पत्थरगढ़ी की आड़ में हमारे हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है। उक्त आराजियात पर 70-80 वर्षों से काबिज होने से एडवर्स पजेशन के आधार निर्विवाद काबिज काश्त होने से हमें खात. खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के पैतृक हिस्से की आराजियात का अन्तरण, मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा. 5 तथा 8 से 15 का जवाब पेश हुआ। पत्रावली पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता-प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की वादग्रस्त आराजी हमारी पुश्तैनी होकर 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। साथ ही निर्णय, मा० न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ अपील क्र. 16/2017/टी.ए. दिनांक 18.01.2018 की प्रति पेश की। न्यायालय राजस्व के निर्णित प्रकरण उदा पिता धुलिया व अन्य बनाम बिजिया पिता किशना दिनांक 15-6-16 की प्रति भी पेश की। निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को फैसला मुलतवी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं है। प्रार्थीगण के पिता धुलिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी जो उनके निधन पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 के नाम दर्ज हुयी। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 व 8 लगा. 15 अपने बाप-दादाओं के समय से ही काबिज-काश्त

है। इस आराजी से प्रार्थीगण और उनके भाईयो ~~का~~ अ. प्रा. सं. 6 व 7 का कोई हक व अधिकार नही है और न ही वादग्रस्त आराजियात उनकी पैतृक है ना ही उनका कब्जा रहा है और ना ही वर्तमान में है। हम अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 ने प्रार्थीगणों व उनके परिवाजनों के विरुद्ध हस्तगत आराजी पर न्यायालय हाजा से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर रखी है। न्यायालय हाजा के आदेश पर पत्थरगढ़ी की जावेगी। प्रार्थना-पत्र अंकित तथ्य मिथ्या होने से प्रार्थना-पत्र काबिले खारिज है। प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है जमीन हमारे नाम है, कब्जा भी हमारा है। ~~अतः~~ अतः कानून किसी भी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर जमाबंदी सम्वत 2067-70 खाता. सं 3 में मारफकार उदा, नौवला, हीरा, धारू पिता फुलिया जा. बा. स. मा. फुलकी भील सा. देह अंकित है। प्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट के समय आराजी फुलीया के नाम दर्ज होना प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 में अभिकथित किया है परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की ~~ओ~~ ने अपने जवाब की चरण सं. 7 में अभिकथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनके पूर्वजों फुलिया व हीरा के नाम दर्ज रही है। परन्तु कोई प्रलेखीय साक्ष्य पेश नही किया गया है।

उक्तानुसार उभयपक्ष पुश्तैनी आराजी प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर साबित करने में असफल रहे तथा कब्जा किसका है इसका भी कोई प्रलेखीय साक्ष्य यथा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया गया है निष्कर्षतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने उपरान्त वादग्रस्त आराजियात पर तापैसला मूलवाद उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखे। आपस में लड़ाई-झगड़ा न करे।

[signature]

किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,
25/8
पीठासीन अधिकारी